

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

एच डी एफ सी इरगो जनरल इश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम् रामकिशन वगैरा  
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-5207/2018

आदेश दिनांक

03.11.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री शैलेश शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी बीमा कम्पनी

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को अपील पर सुना गया। आक्षेपित निर्णय व पंचाट का अनुशीलन किया गया।

प्रत्यर्चीगण को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किए जावें। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस हेतु एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही करें।

अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख तलब किया जावे।

इस दौरान यदि अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा एक माह की अवधि में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण(पारिवारिक न्यायालय) बारां (राज.) द्वारा पारित निर्णय व पंचाट दिनांक 08.08.2018 की सम्पूर्ण राशि अधिकरण में जमा करा दी जाती है तो आक्षेपित निर्णय व पंचाट की क्रियान्विति/निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस  
M-55

सत्यमेव जयते